RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary 2021; 6(1):09-13
https://doi.org/10.31305/rrijm.2021.v06.i01.002
Original Article
Double Blind Peer Reviewed Journal
https://www.rrjournals.com/

जीएसटी का व्यापारी वर्ग पर प्रभाव का समाजशास्त्र अध्ययन

डॉ० पुष्पा राय

एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग,श्री अरविन्द महिला कॉलेज, पटना

ABSTRACT

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री, निर्माण और उपभोग पर एक व्यापक कर लेवी है। भारत में मुख्य कराधान सुधारों में से एक (जीएसटी) राज्य अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करने और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। इससे पहले, कंपनियां और व्यवसाय अप्रत्यक्ष करों जैसे कि वैट, सेवा कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, ऑक्ट्रॉय और लक्जरी कर का भुगतान करते हैं। जुलाई 1, 2017 जीएसटी लागू होने के बाद, इन सभी करों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब केवल एक ही टैक्स है, वह भी राष्ट्रीय स्तर पर, जिसकी देखरेख केंद्र सरकार करती है। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और भारतीय जनसंख्या और उनके उपभोग पैटर्न के संदर्भ में हमें वस्तुओं और वस्तुओं की विभिन्न कीमतों पर जीएसटी के प्रभाव को देखना होगा।

Keywords: *जीएसटी, वस्तु और सेवा, अर्थव्यवस्था, क्षेत्र पर प्रभाव, जीएसटी लाभ।*

Article Publication

Published Online: 17-Jan-2021

Author's Correspondence

Dr. Pushpa Rai
Associate Professor and Head, Department of Social Science, Shree Arvind Mahila College, Patna.

profprai[at]gmail[dot]com

© 2021The Authors. Published by *Research Review Journals*

This is an open access article under the CC BY-NC-ND license

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

परिचय

जीएसटी की शुरूआत भारत में अप्रत्यक्ष कर सुधारों के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। दोहरे कराधान या कैस्केडिंग प्रभाव की समस्या को कम करने के लिए यह बड़ी संख्या में केंद्र और राज्य करों को एक कर में समाहित करता है। सभी व्यक्तियों और डीलरों के लिए यह एक सामान्य राष्ट्रीय बाजार के लिए रास्ता खोलता है। उपभोक्ता दृष्टिकोण से, माल पर समग्र कर बोझ में कमी के संदर्भ में सबसे बड़ा लाभ होगा, जो लगभग 25: – 30: होने का अनुमान लगाया गया था। जीएसटी लागू होने से भारतीय उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकेगा और आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जीएसटी के कारण पारदर्शिता बढ़ेगी और सेल्फ पॉलिसी मेकिंग होगी। एकल कर में अधिकांश केंद्रीय और राज्य करों को एकीकृत करके और पूरे वैल्यूएचेन में पहले चरण में भुगतान की गई आपूर्ति पर भुगतान किए गए करों के क्रेडिट को समायोजित करके, व्यवसायों में कैस्केडिंग को कम करेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और चलनिधि में सुधार होगा। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है और बहु संग्रह संग्रह का अनुसरण करता है। । हर स्तर पर किए जाने वाले कर का भुगतान और पिछले चरण में चुकाए गए कर का भुगतान अगले चरण में किया जाएगा। इससे कर का बोझ अंतिम उपभोक्ता को हस्तांतरित हो जाता है और उद्योगों को बेहतर नकदी प्रवाह और बेहतर कार्यशील पूंजी प्रबंधन से लाभ मिलता है। जीएसटी अपने साथ बड़ी संख्या में वाणिज्यिक क्षेत्रों पर झूलते हुए प्रभावों को लेकर आया है। एक उल्लेखनीय संरचना में विभिन्न उत्तोलनों के समेकन ने हमारे जीवन में उपभोग के लगभग हर पहलू को प्रभावित किया है, इसलिए, हम उपभोक्ता, ऑटोमोबाइल, आईटी, बैंकिंग, शेयर बाजार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी के प्रभाव के बारे में ब्लॉगों की एक श्रृंखला कर रहे हैं। , स्वास्थ्य सेवा आदि।

जीएसटी का असर

- प्रौद्योगिकी प्रवृत्तरू जीएसटी प्रौद्योगिकी पर काफी हद तक आधारित है। इसके कारण मानवीय हस्तक्षेप काफी हद तक कम हो जाएगा और यह निर्णय लेने को बढ़ावा देगा।

- व्यापार करने में आसानरू यह हमारे उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेगा और ष्मेक इन इंडियाष अभियान को भी बढ़ावा देगा। सेवाओं के आयात को इंटरस्टेट आपूर्ति के रूप में माना जाएगा और यह IGST के अधीन होगा जो CGST और SGST के बराबर है। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय और आयातित वस्तुओं पर कराधान में समानता आएगी।
- सरकारी राजस्व में वृद्धिरू जीएसटी में कर आधार को चौड़ा करने और करदाता अनुपालन में सुधार के द्वारा सरकारी राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है। जीएसटी से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में सुधार होने की संभावना है और जीडीपी में 1.5ः से 2ः की वृद्धि का अनुमान है।
- पारदर्शितारू जीएसटी अप्रत्यक्ष कर कानूनों में और अधिक पारदर्शिता लाएगा क्योंकि आपूर्ति के पहले चरण में पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर कर लगाया जाएगा, आपूर्ति का अर्थशास्त्र और कर मूल्य आसानी से पहचान योग्य हैं। इससे उद्योग को क्रेडिट और सरकार को भुगतान किए गए करों की शुद्धता को सत्यापित करने में मदद मिलेगी।
- मौजूदा कानूनों की तुलना में कम अनुपालन करदाताओं को रिकॉर्ड बनाए रखने और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट, केंद्रीय बिक्री कर, ऑक्ट्रोई, प्रवेश कर, विलासिता कर, मनोरंजन कर, आदि जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अनुपालन की आवश्यकता नहीं होगी। सभी अंतरराज्यीय आपूर्ति (जो भी है) के लिए माल और सेवा कर अधिनियम और एकीकृत माल और सेवाओं के लिए केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम और राज्य (या केंद्र शासित प्रदेश) कर के साथ सभी अंतर–राज्य आपूर्ति (जो लगभग समान कानून हैं)। इसकी अधिकांश मूल विशेषताएं ब्ळैज् और ैळैज् अधिनियम) से ली गई हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

1. भारतीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न वस्तुओं और वस्तुओं पर माल और सेवा कर (जीएसटी) की अवधारणा और इसके प्रभाव का अध्ययन करना।
2. यह समझने के लिए कि भारत में चयनित वस्तुओं और वस्तुओं पर जीएसटी का क्या प्रभाव पड़ेगा।
3. कार्यप्रणाली माध्यमिक डेटा संग्रहरू विभिन्न पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, लेखों से विभिन्न प्रकार के माध्यमिक डेटा एकत्र किए जाते हैं।

माप प्रभाव

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को एक संभावित गेम चेंजर कहा गया है, जो भारत में एकल मुख्य कर सुधार है। भारत सरकार के अनुसार यह ष्एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर की अवधारणा है। जीएसटी दंजपवद एक राष्ट्र एक कर 'प्रणाली में लाया गया है, लेकिन वस्तुओं और वस्तुओं की विभिन्न कीमतों पर इसका प्रभाव थोड़ा अलग है।

माल और सेवा कर भारतीय अर्थव्यवस्था के चयनित उपभोक्ता–सामना वाले क्षेत्रों की कीमतों को कैसे प्रभावित करेगा। हालांकि, यह देखा जाना बाकी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न उपभोक्ता–प्रभावित क्षेत्रों पर ळैज् की दर 5ः से 28ः तक कैसे प्रभावित होती है। इन क्षेत्रों में से कुछ पर एक नजर और GST उन्हें कैसे प्रभावित करेगा:

ऑटोमोबाइल:

यात्रियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार से टैक्स आउटगो में समग्र कमी, बड़ी कारों और स्पोर्ट यूटिलिटी वाहनों (एसयूवी सेजमेंट) को कम कर दरों से लाभ होने की उम्मीद है। जीएसटी उन चुनौतियों को जोड़ता है, जिनका क्षेत्र में सामना हुआ है, विमुद्रीकरण और फिर अधिक कठोर उत्सर्जन मानदंडों के कार्यान्वयन से। यात्री कार खंड से टैक्स आउटगो में समग्र कमी देखने को मिलती है, जिसमें बड़ी कारों और स्पोर्ट यूटिलिटी वाहनों (एसयूवी) को कर दरों से लाभ मिलता है। प्ब्। स्जक ने मौजूदा 31.4ः से 29ः की छोटी कारों पर कुल कर का अनुमान लगाया है, जबकि एक SUV के लिए, कर की दर 55.3ः से घटकर लगभग 43ः हो जाएगी। हालांकि, निकट अवधि में, कार डीलर स्टॉक स्तर पर कटौती कर रहे हैं, जिससे बिक्री वृद्धि प्रभावित होने की उम्मीद है। उज्ज्वल स्थान यह है कि मांग में वृद्धि का पूर्वानुमान मजबूत है, और विश्लेषकों को वित्त वर्ष 18 में यात्री कारों और दोपहिया वाहनों

की बिक्री में 8– 12: की वृद्धि की उम्मीद है। आईसीआरए के अनुसार, जीएसटी के वाणिज्यिक वाहन की बिक्री पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है। 30 की वर्तमान दर की तुलना में इस खंड के लिए बेस टैक्स दर 28: है।

सीमेंट

सीमेंट निर्माताओं को कर भुगतान में कुछ राहत मिलेगी क्योंकि इस क्षेत्र को 28: के स्लैब में वर्गीकृत किया गया है जबकि प्रभावी कर दर 29–31: है। सीमेंट फर्मों की उम्मीदों के विपरीत, जो 18: जीएसटी दर की उम्मीद कर रहे थे, इस क्षेत्र को 28: स्लैब में वर्गीकृत किया गया है। इसके बावजूद, सीमेंट निर्माताओं को कर भुगतान में कुछ राहत मिलेगी क्योंकि पैक सीमेंट के लिए प्रभावी कर की दर वैसे भी 29–31: है। कच्चे माल के मोर्चे पर, कोयला, चूना पत्थर और लिग्नाइट पर करों में 5: की कटौती की गई है। हालांकि, कई सीमेंट कंपनियों के ईंधन मिश्रण में वर्तमान में आयातित पेट्रोलियम कोक का अनुपात अधिक है। इस बीच, चूना पत्थर के उत्खनन के लिए कोयले और रॉयल्टी पर एक स्वच्छ ऊर्जा उपकर बना हुआ है। जीएसटी के प्रभाव पर पहले से ही कम मांग और स्पष्टता की कमी को देखते हुए, निकट अवधि में कीमतों में वृद्धि की संभावना नहीं है।

निर्माण, वास्तविक स्थिति

जीएसटी नियमों के तहत मिलने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेक्टर को फायदा होने की संभावना है। अब तक, रियल एस्टेट सहित निर्माण क्षेत्र में 11: से 18: के बीच प्रभावी कर बकाया है। यह अनुबंध की प्रकृति के आधार पर विविध थाय सेवाओं पर लागू सेवा कर का लाभ उठाएं और निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर भी अलग–अलग कर लगाएं। उदाहरण के लिए, सड़कों, बांधों और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण से सेवा कर में छूट मिली। जीएसटी के तहत, पूरे कार्य अनुबंध पर 18: कर लगाया जाता है। हालांकि, उच्च दरों के बावजूद, सेक्टर को जीएसटी नियमों के तहत उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट से लाभ होने की संभावना है। यह केवल मौजूदा शासन के तहत आंशिक रूप से उपलब्ध है।

उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं

नए जीएसटी शासन के तहत सफेद अच्छे खिलाड़ियों पर पहले 27 प्रतिशत (13.5 प्रतिशत वैट सहित) 28 प्रतिशत कर लगाया गया था। ऐसी उम्मीदें हैं कि चित्र में जीएसटी आने के साथ, अधिकांश उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की कीमतों में कुछ वृद्धि होगी। हालांकि, बाजार विश्लेषकों ने उपभोक्ता टिकाऊ कंपनियों के जीएसटी कार्यान्वयन के मार्जिन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं देखा है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, सिम्फनी, व्हर्लपूल, हैवेल्स और वोल्टास जैसी कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए।

ज्वैलर्स

सोने के आभूषणों पर जीएसटी दर 5: की अपेक्षा से कम 3: तय की गई है। नई दर वर्तमान 2: के करीब है। इसलिए, इसे नाटकीय रूप से खरीदने वाले उपभोक्ता को प्रभावित नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, आभूषण बनाने के शुल्क पर कर की दर पहले तय किए गए 18: से 5: तक कटौती की गई है। इससे कुछ राहत मिलनी चाहिए क्योंकि खरीदारों की गिरावट और उस सीमा तक लगाया गया टैक्स मांग के अनुकूल है।

लक्जरी होटल

प्री–जीएसटी स्तरों की तुलना में उच्च–अंत लक्जरी होटल श्रृंखलाएं अधिक भुगतान करेंगी। पूर्व–जीएसटी कर की दर से जो राज्य के आधार पर 18: से 25: के बीच भिन्न होती है, जीएसटी होटल को कमरे के टैरिफ के आधार पर चार बाल्टियों में वर्गीकृत करता है। रु .1,000 से नीचे वाले कमरे की दरें कर–मुक्त होंगी, हालांकि बाकी पर 5:, 12:, 18: और 28: कर लगेगा। रु .7,500 से अधिक कमरे वाले होटलों पर सबसे अधिक 28: थप्पड़ मारे गए हैं। इसलिए, उच्च–अंत लक्जरी चेन प्री–जीएसटी स्तरों की तुलना में अधिक भुगतान करेंगे। होटल लागत के हिस्से से गुजर सकते हैं क्योंकि मांग अभी भी इन श्रेणियों में पर्याप्त नहीं है। पिछली दो तिमाहियों में, उच्च विदेशी पर्यटकों के आगमन और व्यापारिक यात्रा ने अधिभोग के स्तर को औसतन 77: तक बढ़ा दिया है।

साहित्य की समीक्षा

निशिता गुप्ता ने अपने अध्ययन में ंदक गुड्स एंड सर्विस टैक्सरू इंडियन इकोनॉमी पर इसका प्रभाव "कहा कि वस्तु और सेवा कर (GST) वास्तव में भारत में व्यापक अप्रत्यक्ष कर सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार होगा और यह भारत को एक विश्व

देगा। वर्ग कर प्रणाली और कर संग्रह में सुधार। यह विभिन्न क्षेत्रों की विकृतियों को समाप्त कर देगा। दफनाया गया कि यह केंद्रीय बिक्री कर, राज्य स्तरीय बिक्री कर, ऑक्ट्री, प्रवेश कर, स्टांप शुल्क, दूरसंचार लाइसेंस शुल्क, अक्षतंतु खपत जैसे करों को समाप्त कर देगा। उम्मीद है कि जीएसटी के कारण भारत में व्यापार के अनुकूल माहौल बनेगा, परिणामस्वरूप मूल्य स्तर और मुद्रास्फीति की दर एक समान कर दर के आवेदन के कारण कम हो जाएगी। इसके अलावा यह सरकार के राजकोषीय स्वास्थ्य में भी सुधार करेगा क्योंकि कर संग्रह प्रणाली अधिक पारदर्शी हो जाएगी, जिससे कर चोरी मुश्किल हो जाएगी।

नितिन कुमार ने अपने शोध पत्र षारत में माल और सेवा कररू एक तरह से आगे लिखा है कि द गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) भारत में सबसे बड़ा कराधान सुधारों में से एक है। कराधान के इस रूप के पीछे केंद्रीय विचार मौजूदा लेवी को बदलने की तरह है देश में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण और उपभोग पर व्यापक कर लगाकर वैट, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और बिक्री कर। जीएसटी से देश को आर्थिक रूप से एकजुट होने की उम्मीद है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के करों को हटा देगा जो वर्तमान में विभिन्न बिंदुओं पर लगाए गए हैं।

डॉ। अम्बरीशस्टेट्स ने अपने अध्ययन "गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टार्टअप्स पर इसके प्रभाव" में कहा कि जीएसटी से देश को आर्थिक रूप से एकजुट होने की उम्मीद है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के करों को हटा देगा जो वर्तमान में विभिन्न बिंदुओं पर लगाए गए हैं। 2015 के नैस्कॉम की रिपोर्ट के आधार पर इस पत्र में यह भी विश्लेषण किया गया है कि जीएसटी का देश के स्टार्टअप पर क्या प्रभाव पड़ता है और जीडीपी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। डॉ। आर। वसंतगोपाल, स्टडी ष्जीएसटी इन इंडियारू इन ए बिग लीप इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टमष् और उन्होंने पाया कि सकारात्मक प्रभाव निर्भर हैं कि जीएसटी का इफिसाइन तर्कसंगत है और विभिन्न हितधारकों के परस्पर विरोधी हितों को संतुलित करता है। आगे उन्होंने कहा कि जीएसटी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का एक बड़ा पत्ता आयन होगा और भारत के आर्थिक बदलाव को एक नई गति प्रदान करेगा। आगे उन्होंने उल्लेख किया कि जीएसटी के कार्यान्वयन को भारत सरकार के सबसे बड़े खेल बदलते सुधारों में से एक माना जाएगा, जो भारत को एक आर्थिक रूप से एकीकृत अर्थव्यवस्था बनने में मदद करेगा और व्यापार लागत को कम करने और वस्तुओं और सेवाओं के निर्बाध आंदोलनों को समाप्त करने में मदद करेगा। स्थानीय शुल्क।

जीएसटी और विभिन्न क्षेत्रों पर इसके प्रभाव का अवलोकन

अगर निर्माताओं, वितरक और खुदरा विक्रेताओं पर जीएसटी के प्रभाव के बारे में बात करें तो यह माना जाता है कि जीएसटी से कर संरचना के कारण भारत के निर्माता में प्रतिस्पर्धा और प्रदर्शन को बढ़ावा मिलेगा। उच्च बुनियादी ढांचा खर्च और घटते निर्यात इस क्षेत्र की चिंता के कुछ ही हैं। एकल कर प्रणाली से निर्माताओं और वितरकों के लिए प्रशासनिक लागत में कमी आएगी और यह क्षेत्र और अधिक मजबूती से विकसित होगा। यदि सेवा प्रदाताओं पर ळैज् के प्रभाव पर नजर डाली जाए तो यह देखा गया है कि अधिकांश कर भार दूरसंचार सेवाओं, बीमा उद्योग, व्यावसायिक सहायता सेवाओं, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं, आईटी सेवाओं आदि जैसे डोमेन द्वारा वहन किया जाता है। ळैज् के लागू होने से बोझ में कमी आएगी लॉजिस्टिक उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाता है। हम काफी हद तक यह मान सकते हैं कि एक सुव्यवस्थित और परिपक्व लॉजिस्टिक्स उद्योग में भारत सरकार की ष्मेक इन इंडियाष् पहल को आगे बढ़ाने की क्षमता है और इसका अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव है।

इसके साथ ही जीएसटी ईकॉम क्षेत्र के विकास में मदद करेगा लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव विशेष रूप से दिलचस्प होगा क्योंकि मॉडल जीएसटी कानून विशेष रूप से स्रोत (टीसीएस) तंत्र पर कर संग्रह का प्रस्ताव करता है, अगर फार्मा उद्योग के बारे में बात करें तो जीएसटी से फार्मा और स्वास्थ्य सेवा उद्योगों को लाभ होने की उम्मीद है । यह सरलीकृत कर संरचना के साथ चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देता है। जीएसटी के बाद दूरसंचार क्षेत्र की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। निर्माता इन्वेंट्री के कुशल प्रबंधन के माध्यम से लागत पर बचत करेंगे।

हैंडसेट निर्माताओं को अपने उपकरण बेचने में आसानी होगी क्योंकि जीएसटी राज्य की आवश्यकता को कम करेगा और रसद लागतों को भी बचाएगा। कपड़ा उद्योग बड़ी संख्या में कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार देता है। यह कुल वार्षिक निर्यात का लगभग 10ः योगदान देता है, और यह मूल्य जीएसटी के तहत बढ़ने की संभावना है। कपड़ा उद्योग के कपास मूल्य श्रृंखला पर जीएसटी का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जो आर्थिक विकास का नेतृत्व करता है। रियल एस्टेट सेक्टर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह भारत में रोजगार सृजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जीएसटी लागू होने से सेक्टर को काफी लाभ होगा। कृषि क्षेत्र जीडीपी का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। यह जीडीपी का 16ः कवर करता है। कृषि क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों में, राज्य लाइनों में कृषि उत्पादों का परिवहन है। उम्मीद है कि जीएसटी परिवहन के मुद्दे को हल करेगा। एफएमसीजी क्षेत्र रसद और वितरण लागतों में महत्वपूर्ण बचत बढ़ा सकता है क्योंकि जीएसटी कई बिक्री डिपो की

आवश्यकता को समाप्त कर देगा। इस क्षेत्र के लिए जीएसटी दर लगभग 17: होने की उम्मीद है, जो एफएमपीजी कंपनियों द्वारा वर्तमान में भुगतान किए गए 24–25: कर की दर से कम है। वर्तमान कर प्रणाली के तहत, ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर उत्पाद शुल्क, वैट, बिक्री कर, सड़क कर, मोटर वाहन कर, पंजीकरण शुल्क जैसे कई कर लागू होते हैं, जिन्हें जीएसटी द्वारा लागू किया जाएगा।

उपसंहार

1 जुलाई, 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक वास्तविकता बन गई है। ऐसी उम्मीदें हैं कि कर सुधार से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और असंगठित से संगठित क्षेत्र में भारी बदलाव देखने को मिलेगा। विभिन्न वस्तुओं और वस्तुओं की कीमतों के संदर्भ में निम्नलिखित सामान और वस्तुएं सस्ती और महंगी होंगी। कॉर्न फ्लेक्स, बुस्कुट्स, मेडिसिन, आइसक्रीम, पैकेज्ड टी एंड कॉफी, घड़ियाँ, मिठाई, चीज, मसाला, ब्रांडेड सामान, साबुन, हेयर ऑयल, टू, व्हीलर्स, मीट, टूथ पेस्ट, कोकर आदि जैसे सामान सस्ते हो गए हैं। रेडियो टैक्सी, मूवीज, एंटरटेनमेंट सर्विस, एसी ट्रेन, एयर ट्रैवल, रेस्ट्रॉन्टेंट्स, ढाबा जैसी सेवाएं सस्ती हो जाएंगी। पेय, कोयला, स्टील, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मॉनिटर्स और प्रिंटर। चाय कॉफी मसाला, पेंट, छोटी कारें, चॉकलेट, सेनेटरी वेयर, डिटर्जेंट, स्किन क्रीम। ऑनलाइन शॉपिंग, मोबाइल फोन बिल, बीमा प्रीमियम और अन्य शुल्क, बैंकिंग शुल्क, इंटरनेट वाईफाई, डीटीएच सेवाएं, स्कूल फीस, कूरियर सेवाएं जैसी सेवाएं महंगी हो गई हैं।

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

[1] अहमद फारिक मुस्तफा, एम। आर। (2011)। स्वयं में कर अनुपालन व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक। जर्नल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, 12864–12872।

[2] ऐको, आर (2013, 9 जुलाई)। क्या मुझे कर भुगतान करना है? तंजानिया में नागरिकों को उनके ताज के प्रति जागरूकता। ब्रीफिंग पेपर, पीपी। 1–8।

[3] अखिला, पी। एस। (2016)। जीएसटी पर एक वैचारिक अध्ययन–भारत में अप्रत्यक्ष करों के लिए एक विकल्प, बहुविषयक (श्रब्ड) में अंतर्राष्ट्रीय शोध का वर्तमान जर्नल, 1 (6)रू 24–29।

[4] चौहान, वी।, शाकद्वीपी, पी। और खान, एस। (2017), ष्जीएसटी के बारे में जागरूकता को मापनेरू राजस्थान के छोटे व्यवसाय के मालिकों का एक सर्वेक्षणष् प्रशांत व्यापार समीक्षा इंटरनेशनल, 9 (8), 91–101।

[5] केली, एच। एच। (1973)। कौसल एट्रिब्यूशन का प्रस्ताव। जर्नल ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, 107–128

[6] कोटनल, जयश्री आर (2016)। जीएसटी इन इंडियारू अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली का एक संवर्धन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च 2016य 2 (4)रू 735–738।

[7] क्रेजी, आर। वी। (1970)। अनुसंधान गतिविधियों के लिए नमूना आकार का निर्धारण। शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक मापन, 607–610।

[8] लाई, आई। (2014, 16 सितंबर)। मलेशिया की छाया अर्थव्यवस्था में कटौती के लिए जीएसटी का नेतृत्व करेगा। स्टार ऑनलाइन से 20 मार्च 2015 को लिया गया: http://www-thestar.com-my/Business/Busin Ess&News / 2014/09/16 / GST&to&stabilise&

[9] एमजे फर्ग्यूसन, जे बी (2004)। लाइक करने के लिए हैरू गोल पीछा के प्रभाव